कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री सोहन लाल भाम्भू, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, पीरकामड़िया, हनुमानगढ का स्थानान्तरण राउमावि, लालपुरा, हनुमानगढ किया गया। श्री सोहन लाल भाम्भू ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सि.याचिका संख्या–21923/2019 श्री सोहन लाल भाम्भू बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

याचिकार्थी श्री सोहन लाल भाम्भू द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के पुत्र मुक बधिर (कॉकलेयर इम्पलॉन्ट) होने तथा स्थानान्तरित स्थान पर विशेष शिक्षक और थैरेपिस्ट नहीं होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि, पीरकामड़िया, हनुमानगढ तथा वहां कार्यरत श्री मंगतू राम, व्याख्याता–हिन्दी की सहमति पत्र के आधार पर उनका पदस्थापन राउमावि. लीलांवाली, हनुमानगढ में किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी की प्रतिकूल एवं पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए श्री सोहन लाल भाम्भू, व्याख्याता (हिन्दी) का पदस्थापन/समायोजन राउमावि. पीरकामड़िया, हनुमानगढ तथा श्री मंगतू राम, व्याख्याता (हिन्दी) का सहमति पत्र के आधार पर पदस्थापन/समायोजन राउमावि, लीलांवाली, हनुमानगढ में व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पद पर किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./सोहनलाल भाम्भू/21923/2019 दिनांक– 12/03/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, हनुमानगढ
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. प्रधानाचार्य, राउमावि, पीरकामड़िया/लालपुरा/लीलांवाली, हनुमानगढ
9. संबंधित कार्मिक–
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर